सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 05, बुधवार, *शाके* 1947- मार्च 26, 2025 *Chaitra 05, Wednesday, Saka 1947- March 26, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 18, 2025

एस.ओ.132 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. प.12 (91) वित्त/कर/2019-123 दिनांक 16.03.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. खुशाल यादव,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2025

राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में 17.03.2025 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में,-

(i) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "10" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "7.5" प्रतिस्थापित की जाएगी; और

(ii) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "10" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "7.5" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[प.12(91)वित्त/कर/2019-123]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 खुशाल यादव,
संयुक्त शासन सचिव''।

Government Central Press, Jaipur.